संख्या- 9/2021/1351 /63-व0उ0-2021-155(एच)/2017टी0सी0

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शसन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 23 नवम्बर, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 की क्रियान्वयन योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-344/63-व0उ0-2017-155(एच)/17 दिनांक 12.02.2018 के अन्तर्गत वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों हेतु गठित शासकीय स्वीकृति समिति की संरचना में संशोधन सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त शासनादेश संख्या-344/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 के अनुसार वृहद, मेगा एवं सुपर मेगा वस्त्र औद्योगिक इकाईयों, टेक्सटाइल पार्कों एवं वस्त्र औद्योगिक आस्थान हेतु उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017 में अनुमन्य सुविधाओं की स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक शासकीय स्वीकृति समिति के गठन का प्राविधान है।

2- अतः अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने के लिए ''उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2017'' के अन्तर्गत गठित शासकीय स्वीकृति कमेटी की सदस्य संरचना के शासनादेश संख्या-581/63-व0उ0-2020-60(एच)/2020 दिनांक 13.07.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन के स्थान पर अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-	शासकीय स्वीकृति कमेटी की सदस्य संरचना	1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
		2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
		3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
		4	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
		5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मद्यम विभाग,उ0प्र0 शासन।	सदस्य
		6	संबंधित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जिनसे कि वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।	सदस्य
		7	आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।	संयोजक/ सदस्य
		8	पी0एम0ए0 के पदाधिकारी	सह संयोजक /सदस्य
2-	शासकीय स्वीकृति कमेटी के कार्य एवं दायित्व	यह समिति वृहद, मेगा एवं सुपर मेगा इकाईयों के निवेश प्रस्तावों का परीक्षण कर Letter of comfort जारी करेगी, नोडल एजेन्सी द्वारा प्रसंस्कृत प्रस्तावों का परीक्षण एवं विचार कर अनुदान वितरण की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों पर अपने सुझाव भी देगी। समिति की बैठक प्रति माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार आवेदक उपक्रम के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये जायेंगे। बैठक की कार्यवाही के आधार पर संबंधित विभागों को स्वीकृति पत्र/Letter of comfort का आलेख प्रसारित किया जायेगा। जिस पर संबंधित विभाग अपनी सहमति अंकित करेंगे। उसके पश्चात पात्र वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों को औपचारिक स्वीकृति/Letter of comfort निर्गत किया जायेगा। अनुदान वितरण पर कार्यवाही समिति की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर किया जायेगा।			

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- शासनादेश संख्या-581/63-व0उ0-2020-60(एच)/2020 दिनांक 13.07.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश संख्या-344/63-व0उ0-2018-155(एच)/2017 दिनांक 12.02.2018 के प्राविधान के अनुसार गठित अन्य समितियाँ यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2021/1351(1)/63-व0उ0-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
9- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
10- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, यूपिको, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।